

प्रदूषण बेरोजगारी और सड़क हादसे से चीखती सिंगरौली में मनेगा महोत्सव

सिंगरौली। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि में 24 मई को मनोरंजन के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। इसके लिए माया नगरी से प्लेबैक सिंगरों को बुलाया गया है। स्थानीय प्रशासन एवं जिले के जनप्रतिनिधि खूब इस महफिल का लुत्फ उठाएंगे। इधर सिंगरौली वासी मनोरंजन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किये जाने का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सिंगरौली जिले में प्रदूषण की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हवा में पूरी तरह से जहर घुल चुका है। इस जिले का पानी पीने लायक नहीं रह गया है, सड़के चलने लायक नहीं है, क्योंकि यहां कोयला और राखड़ लोड बड़े-बड़े माल वाहक, वाहन काल बनाकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। यह किसी भी समय किसी को रौंद देते हैं और बेरोजगारी की बात करें तो कंपनियों में मजदूरी का काम भी मिलना मुश्किल हो गया है शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। कुल मिलाकर सिंगरौली इन सभी दर्दों की वजह से कराह रही है, लेकिन जिला प्रशासन एवं जन

मनोरंजन के लिए खर्च होंगे करोड़ों रुपए, उठ रहे विरोध के सुर

प्रतिनिधि हर वर्ष की तरह इस बार भी सिंगरौली महोत्सव गौरव दिवस मनाएंगे। अब समस्या यह नहीं है कि सिंगरौली का गौरव दिवस क्यों मनाया जा रहा है, बल्कि समस्या तब खड़ी हो जाती है जब इस महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। क्योंकि सिंगरौली जिले में पैसे के अभाव में अभी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य अधूर में पड़े हुए हैं जो सिंगरौली महोत्सव के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने की इजाजत नहीं देते

महोत्सव के नाम पर खर्च होंगे करोड़ों रुपए

24 मई से शुरू होने वाले सिंगरौली महोत्सव कार्यक्रम के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं। यह राशि कहां से आएगी और कितनी राशि किस काम के लिए खर्च हो रही है, यह जानकारी जिले के बहुत ही कम लोगों तक सीमित रहेगी। जिले वासियों को इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत नहीं कराया

जाएगा। उन्हें सिर्फ दूर से दर्शक दीर्घा का हिस्सा बनाया जाएगा स्थानीय कलाकार उपेक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बाहरी कलाकारों को बुलाकर दो चार प्रस्तुति के बदले लाखों रुपए दिए जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं की बाहरी कलाकार समां बांध पाएंगे। वहीं स्थानीय कलाकारों को भी भाग लेने का मौका अवश्य दिया जा रहा है, लेकिन इन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि अधिकांश स्थानीय कलाकार इस महोत्सव में भाग नहीं ले रहे हैं

इनका कहना

सिंगरौली महोत्सव में सबसे पहले स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देना चाहिए। यदि बाहरी कलाकारों को पैसे दिए जा रहे हैं तो स्थानीय

कलाकारों को भी पैसा देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो यह गलत है इस संबंध में मैं कमेट्री से बात करूंगा। रामनिवास शाह विधायक सिंगरौली सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर जिले के लिए कोई बड़ी घोषणा होनी चाहिए। गौरव दिवस तब माना जाएगा जब करोड़ों रुपए मनोरंजन के लिए खर्च न कर वहीं पैसा जिले के विकास के लिए खर्च हो तभी सिंगरौली वासियों का तभी भला होगा।

ज्ञानेंद्र द्विवेदी, जिलाध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस कमेट्री सिंगरौली पूरा जिला प्रदूषण विस्थापन और सड़क हादसे जैसी गंभीर समस्याओं से बेहाल हैं और

सिंगरौली के जनप्रतिनिधि और प्रशासन द्वारा मनोरंजन के लिए करोड़ रुपए खर्च किये जा रहे हैं। यह निश्चित रूप से सिंगरौली वासियों के साथ घोर अन्याय है। वही पैसा सिंगरौली के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। कामरेड संजय नामदेव भाकपा सिंगरौली सिंगरौली जिला प्रदूषण विस्थापन बेरोजगारी सड़क हादसे जैसी तमाम समस्याओं से चीख रही है। यहां के जो पैसा इस महोत्सव के नाम पर खर्च हो रहा है, वही पैसा सिंगरौली के विकास में लगाना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। सुधीर पाण्डेय कलाकार एवं समाज सेवी सिंगरौली

बरगवां पुलिस ने अवैध कोयले के कारोबार पर की कार्यवाही

गोदवाली से 16 मिट्रिक टन अवैध कोयला जप्त



सिंगरौली। बीती रात बरगवां पुलिस ने अवैध कोयले के कारोबार पर कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध कोयला जप्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि गस्त के दौरान बरगवां निरीक्षक राकेश साहू को सूचना मिली की ग्राम गोदवाली में त्रिमूला कम्पनी के

गेट के आगे श्रीराम तिवारी के घर व जायसवाल ढावा के बीचो-बीच खाली जमीन पर काफी मात्रा में अवैध कोयला पड़ा हुआ है। बरगवां निरीक्षक ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर टीआई राकेश साहू ने थाने के स्टॉफ सउनि कृष्णेंद्र सिंह, प्रआर

आलोक चतुर्वेदी, रामनिवास यादव, अरविन्द यादव, आर प्रशान्त सिंह को साथ लेकर मौके पर तस्दीक करने पहुंचे। पुलिस को वहां से लगभग 16 मिट्रिक टन कोयला पड़ा मिला। टीआई बरगवां के द्वारा मौके पर कार्यवाही की गई एवं खनिज विभाग को बुलाकर जसमाल सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही में खनिज विभाग से माईनिंग इस्पेक्टर कपिलमुनी शुक्ला, विद्याकान्त तिवारी भी मौजूद रहे। उक्त कार्यवाही में सउनि कृष्णेंद्र सिंह, प्रआर रामनिवास यादव, आलोक चतुर्वेदी, आर अरविन्द यादव व प्रशान्त सिंह की सराहनीय भूमिका रही है।

सरकारी हैंड पंप में समर्पित पंप लगाकर कब्जा

सिंगरौली। जनसुनवाई में सरकारी हैंडपंप में निजी मोटर समर्पित पंपम डालकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि पंप लगने से पानी पीने से मना करने तथा झगड़ा विवाद करने की शिकायत आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। चितरंगी जनपद पंचायत क्षेत्र के लोटान गांव से बाबुराम साहू पिता गुलाब साहू और दुखीलाल बैगा पिता बन्धू बैगा ने कलेक्टर से शिकायत किया कि सरकारी हैंड पंप में गांव के ही उपेन्द्र विश्वकर्मा पिता प्रनेलाल विश्वकर्मा द्वारा विगत एक वर्ष पूर्व से अपना निजी समर्पित पंपम लगाया गया है। जिससे हैंडपंप चलाने पर पानी नहीं निकलता है, ऐसे में गर्मी में मुहल्ले वासियों को पानी की समस्या हो रही है।

पूर्व सरपंच पर 200 एकड़ सरकारी जमीन का पट्टा कराने का आरोप

जनसुनवाई में कलेक्टर से हुई शिकायत, आरोपी जान से मारने दे रहे धमकी

सिंगरौली। आज दिन मंगलवार की जनसुनवाई में जनपद पंचायत चितरंगी के गांव कतरिहार से एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर से पूर्व सरपंच की शिकायत करने पहुंचे। ग्रामीणों ने दिये शिकायती पत्र में पूर्व सरपंच पर 200 एकड़ सरकारी जमीन को बैंक डेट में फर्जी पट्टा करा लेने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि कतरिहार ग्राम के पूर्व सरपंच रामनरेश गुर्जर पिता वैद्यनाथ गुर्जर पूर्व सरपंच था। वह अपने कार्यकाल में गांव की म.प्र. शासन की करीब 200 एकड़ जमीन का बैंक डेट में फर्जी पट्टा अपने बाबा रामरूप भुर्तिया अपने पिता



वैद्यनाथ भुर्तिया माता गोन्हई अपने बहन राधिका गुर्जर सहित अपने परिवार वाले रामसहाय गुर्जर, गनपत गुर्जर, रामरक्षा गुर्जर, भुबाली गुर्जर के नाम करा लिया है। जबकि कई खसरा नम्बरों में आदिवासी आवाद हैं और कई पुस्तों से इन्ही का कब्जा रहा। लेकिन सरहंग पूर्व सरपंच रामनरेश गुर्जर पुलिस और

प्रशासन की धमक दिखाकर वहां से भगाना चाह रहा है। शिकायत कर्ताओं ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पूर्व सरपंच के खिलाफ जब से जनसुनवाई में शिकायत किये हैं, उसी समय से वह ना केवल जान से मारने, बल्कि फर्जी केश में फंसाने की धमकी दे रहा है। उसके द्वारा कहा जाता है कि पुलिस और प्रशासन हमारे बस में हैं। हम जैसा चाहेंगे, वैसा ही होगा। ग्रामीणों ने अपने दिये शिकायती पत्र में बताया कि पूर्व सरपंच अपने कार्यकाल में एक आदिवासी लड़की का अपहरण कर लिया था। जिसका पता आज तक नहीं चला। वह उस मामले में जेल में भी था।

छेड़खानी की रपट दर्ज करने के नाम पर एसआई ने लिया 5 हजार

सिंगरौली

बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम तलवा निवासी एक महिला से बरगवां थाने में पदस्थ एक एसआई ने छेड़खानी की रपट दर्ज करने के नाम पर 5 हजार रूपये लिया है। पैसा लेने के बाद रपट भी दर्ज नहीं की है। जिससे परेशान होकर पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई है।

बरगवां थाना क्षेत्र के तलवा निवासी महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिये शिकायती पत्र में बताया है कि मेरा पड़ोसी

पीड़िता ने एसपी से की शिकायत, बरगवां थाना का मामला



रामसुभग साहू पिता रंगीलाल साहू द्वारा आये दिन परेशान व धमकाया जाता है। सरहंग के द्वारा अशब्द बोला जाता है। यहां

तक पीड़िता ने कई संगीन आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी को दिये पत्र में कहा कि 12 मई को रात में घर में घुसकर जबरजस्ती करने का प्रयास करने लगा। इस घटना की शिकायत बरगवां थाने में की, लेकिन सरहंग पर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बरगवां थाना में पदस्थ एक एसआई ने कहा कि 5 हजार रूपये दो, तो एफआईआर करके गिरफ्तार करेंगे। पीड़िता ने एसआई की बात मान ली

और 5 हजार रूपये दे दी। लेकिन जब रपट नहीं लिखी गई तो पीड़िता एसआई के यहां पहुंची और कहा कि रपट नहीं लिखे हैं और न ही उसे गिरफ्तार कि ये। एसआई के द्वारा कहा गया कि निर्मंत्रण खाने जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन अब एसआई मुकर गया। जिससे पीड़िता परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुये एफआईआर दर्ज कराने की गुहार लगाई है।

कर्मचारियों के लिए बेहतर आवास सुविधा का एक और कदम

सिंगरौली। एनटीपीसी विंध्याचल टाउनशिप में एक नए और आधुनिक रूप से सुसज्जित बैचलर आवास नवतरंग का उद्घाटन किया गया। इस खास अवसर पर नमका श्रीनिवास राव क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक ने रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया। उनके साथ ई सत्य फणि कुमार कार्यकारी निदेशक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। नवतरंग में कुल 30 कमरे हैं जो न केवल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं, बल्कि कर्मचारियों के लिए एक आरामदायक और सौम्य वातावरण भी प्रदान करते हैं।

हिंडालको महान की पहल पर विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम आयोजित

सिंगरौली

विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर हिंडालको महान द्वारा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक मंगलेश्वर सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। उन्होंने मधुमक्खी पालन को ग्रामीण आजीविका का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि यह न



केवल आर्थिक रूप से लाभकारी है, बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा मधुमक्खियाँ प्रकृति की मौन कर्मठ सेवक हैं, जिनके

बिना परागण की प्रक्रिया और कृषि उत्पादन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंडालको महान के सीएसआर प्रमुख संजय सिंह और बीरेंद्र पांडेय ने कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा संचालित जीवोत्कर्ष परियोजना के तहत कई गांवों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, उपकरण व बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

महिला थाना प्रभारी ने पीड़िता को नहीं मिलने दी एसपी से

तीन दिन तक पीड़िता को महिला थाना बुलाकर नहीं लिखी गई रिपोर्ट

सिंगरौली। जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा चुकी है। कानून का डर अब अपराधियों में नहीं रह गया है। क्योंकि अब पैसा बोलता है। यही वजह है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसा ही वाक्या एसपी कार्यालय में आज दिन मंगलवार 20 मई दोपहर तकरीबन 12:30 पर देखने को मिला है। जहां एक महिला छेड़खानी व धमकी की शिकायत महिला थाना में की थी, लेकिन तीन दिन बुलाकर रपट नहीं लिखी गई तो महिला थकाहार कर एसपी कार्यालय पहुंची। जहां बाहर बैठी महिला थाना प्रभारी ने पीड़िता को एसपी से नहीं मिलने दिया गया। पीड़िता ने महिला थाना



प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाया है। जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के सिंगाही निवासी लगभग एक 25 वर्षीय महिला ने एसपी के नाम दिये शिकायती पत्र में बताया कि बीते 14 अप्रैल की रात तकरीबन 10 बजे घर में जबरन रंगधारी

शिकायत करती भी हो तो कहीं सुनवाई नहीं होगी। तब पीड़िता ने माड़ा थाना गई। जहां शिकायत की, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। पीड़िता महिला थाना बैठन 13 मई को आई और शिकायत की, लेकिन तीन दिन तक बुलाने के बाद भी पीड़िता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला थाने से कोई सुनवाई नहीं होने के बाद पीड़िता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। जब महिला को महिला थाना प्रभारी ने देखा तो उसका आवेदन ले ली। पीड़िता बोली कि मुझे एसपी से मिलना है, मेरा आवेदन दे दीजिए। मीडिया कर्मियों को देखकर महिला थाना प्रभारी ने आवेदन तो दे दिया, लेकिन पुलिस अधीक्षक से मिलने नहीं दिया गया। कुछ इस तरह की घटनाएं एसपी कार्यालय के जनसुनवाई में देखने को मिली। पीड़िता ने बताया कि जब मैं अंदर जाने का प्रयास करती हूँ तो अंदर नहीं जाने दिया जाता है। सिर्फ मुझे महिला थाना प्रभारी के द्वारा एक कागज का टुकड़ा दिया गया, जिसमें लिखा था शिवपूजन मिश्रा थाना प्रभारी माड़ा। आखिर इसका क्या अर्थ है, यह समझ से परे लग रहा है। लेकिन महिला ने जिस तरीके से महिला थाना प्रभारी पर आरोप लगा रही है कहीं न कहीं सच्चाई तो है, क्योंकि इन दिनों महिला थाना काफी चर्चाओं में लेन-देन को लेकर आ चुका है।

सिंह खैरवार घुसकर ईज्जत लुटने का प्रयास करने लगा। पीड़िता ने हल्ला गुहार की तो परिजन पहुंचे। परिजनों को देखकर रंगधारी सिंह घर से भाग गया और सुबह धमकी देने लगा कि अगर कही शिकायत करोगी तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। अगर

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा, जिला- रीवा (म.प्र.)					
//निविदा सूचना//					
रीवा, दिनांक 19-05-2025					
निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।					
क्र.	टेंडर क्रमांक एवं जारी दिनांक तथा NIT क्रमांक/दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1.	2025_UAD_424731_1 20.05.2025 [FIRST CALL] 642/19.05.2025	नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रांतर्गत सोख्ता गड्डे (Soak pit) का निर्माण एवं हैंडपंप नाली से अपशिष्ट जल को सोख्ता गड्डे में जोड़ने का कार्य।	04 माह ₹ 06.80 लाख	₹2000.00 ₹6800.00	04.06.2025 18:00 बजे तक।
2.	2025_UAD_424732_1 20.05.2025 [FIRST CALL] 643/19.05.2025	नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रांतर्गत समर्पित मोटर पंप सेट के सुधार कार्य हेतु वार्षिक दर अनुबंध पर निविदा।	12 माह ₹ 06.62 लाख	₹2000.00 ₹6620.00	04.06.2025 18:00 बजे तक।
3.	2025_UAD_424733_1 20.05.2025 [FIRST CALL] 644/19.05.2025	नगर पालिक निगम रीवा कार्यालय के कंट्रोल रूम में बैकअप हेतु 10KVA का UPS प्रदाय करने का कार्य।	01 माह ₹ 03.66 लाख	₹2000.00 ₹3660.00	04.06.2025 18:00 बजे तक।
4.	2025_UAD_424734_1 20.05.2025 [FIRST CALL] 645/19.05.2025	जोन क्रमांक-01 अंतर्गत बाई क्रमांक-05 में संजीवनी वस्तीनिक के पास नाले के ऊपर कवर निर्माण का कार्य।	02 माह ₹ 05.58 लाख	₹2000.00 ₹5580.00	04.06.2025 18:00 बजे तक।

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री (विद्युत जोन-1)
नगर पालिक निगम
रीवा (म.प्र.)

संक्षिप्त समाचार

महाराष्ट्र में नई कार लेना

हुआ मुश्किल, राज्य सरकार ने बना दिया नया नियम

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में अब नई कार लेना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को यह घोषणा की है कि जब तक खरीदार संबंधित नगर निकाय में पार्किंग स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे देता, तब तक उसके नाम पर नए वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यह निर्णय मुख्य रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते पार्किंग संकट से निपटने के लिए लिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की नई पार्किंग नीति पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। बैठक के बाद मंत्री सरनाईक ने कहा, हम पार्किंग स्थल बनाने पर विचार कर रहे हैं। विकास नियमों का पालन किया जाना चाहिए और डेवलपर्स को प्लेटों के साथ पार्किंग की जगह भी देनी चाहिए। अब जो नए खरीदार होंगे उनके पास यदि नगर निकाय से पार्किंग आवस्यजन प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनके नाम से नए वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्र में पार्किंग की जगह की भारी कमी को स्वीकार करते हुए कहा कि शहरी विकास विभाग शहर के बड़े मनोरंजन स्थलों के नीचे पार्किंग प्लाजा के निर्माण की अनुमति देने पर काम कर रहा है। इसके अलावा सरनाईक ने पॉड टैक्सी नेटवर्क को लेकर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पॉड टैक्सी परिवहनाना पर एक डिजाइन मेरे सामने रखा गया था। मैंने वडोदरा का दौरा किया है, जो दुनिया की पहली पॉड-कार परियोजना की मेजबानी करने को तैयार है।

आगरा-ग्वालियर हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी आग, एक का ड्राइवर जिंदा जला

आगरा, एजेंसी। आगरा-ग्वालियर हाईवे पर दो ट्रकों की भिड़त के बाद लगी आग में एक ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। यह हादसा, आगरा के सैंया थाना क्षेत्र में हुआ है। एक ट्रक आगरा से धौलपुर की ओर जा रहा था। उसकी दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। इस दौरान एक ट्रक में ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। आग में जलकर उसकी मौत हो गई। ग्वालियर हाईवे पर हुए इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। आग की ऊंची-ऊंची लपटें और धुंएँ का गुबार देख आसपास से लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। लोग, आग की भयावहता से हैरान थे। इसी बीच किसी ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूसरे ट्रक के ड्राइवर और एक वलोनर को सैंया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पर इलाज के लिए पहुंचाया। यह हादसा, मंगलवार को भोर में करीब साढ़े 5 बजे के आसपास हुआ। जिस जगह पर ट्रकों की भिड़त हुई वो सैंया थाना क्षेत्र के बीरई गांव के पास है। मिली जानकारी के अनुसार आगरा की ओर से आ रहे ट्रक में परन्तुन का सामान लदा था। जबकि दूसरे ट्रक में हाइवेयर का सामान लोड था। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई और एक ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। वह आग की लपटों के बीच घिर गया। ट्रक के अंदर ही वह आग की चोट में आ गया। ड्राइवर की ट्रक के अंदर जलकर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परन्तुन के सामान से लोड ट्रक से ड्राइवर और वलोनर को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जिस ट्रक पर हाईवेयर लोड था उसका ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया। आग से जलकर उसकी मौत हो गई। आग बुझाए जाने के बाद पुलिस ने उसके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।

तुर्की के सेब से हिमाचल को घाटा, सीएम सुखू बोले-प्रतिबंध लगाने के लिए प्रधानमंत्री को लिखूंगा लेटर

शिमला, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखखू ने सोमवार को कहा कि वे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तुर्की से सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बागवानों ने हिमाचल प्रदेश को सेब उत्पादक राज्य बनाने के लिए बहुत मेहनत की और जब उनके उत्पाद को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है तो उत्पादक निराश महसूस करते हैं। सीएम सुखखू ने कहा,पिछले कुछ समय से तुर्की और अमेरिका से आयातित सेब ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को प्रभावित किया है। मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को तुर्की से सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिखूंगा। उन्होंने आगे कहा,24 मई को प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे इस संबंध में बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश में सेब उद्योग का अनुमानित मूल्य 4,500 करोड़ रुपये है। सुखखू ने यह भी कहा कि जीएसटी और रियल एस्टेट जैसे सभी नियामक प्राधिकरणों के कार्यालयों को शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए शिमला से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि,सरकारी विभाग शहर में ही रहेंगे। सुखखू ने कहा कि महिला कर्मचारियों को शिमला में रहने का विकल्प दिया जाएगा और नए कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने धर्मशाला और मंडी में भारी लागत पर इमारतें बनाई थीं जो खाली पड़ी हैं और उनका उपयोग किया जाएगा। पर्यटकों का स्वागत करते हुए सुखखू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित राज्य है।

जज भी इंसान ही होते हैं और उनसे गलती हो जाना स्वाभाविक है: जस्टिस अभय एस ओका

नईदिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि अदालत में फैसला करते समय भी गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि जज भी इंसान ही होते हैं और उनसे गलती हो जाना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहते हुए उनसे भी गलती हुई थी। साल 2016 में घरेलू हिंसा के एक मामले में उनसे सही बात समझने में गलती हो गई। जस्टिस ओका ने कहा कि जजों के लिए लगातार सीखने का सिलसिला चलता रहता है।

जस्टिस ओका ने कहा कि यह मानते हुए कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत घरेलू हिंसा कानून की धारा 12 (1) के तहत दी गई याचिका को भी खारिज किया जा सकता है। हालांकि यह कानून कहता है कि कोई भी महिला भुगतान, मुआवजा या फिर अन्य राहत के लिए मॉजस्ट्रेट का रुख कर सकती है। जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया था। वहीं जस्टिस ओका का विचार एकदम अलग था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून महिलाओं को न्याय देने के लिए बनाया गया है। ऐसे में धारा 482 के तहत अपार अर्जी खारिज करने की बात आती है तो हाई कोर्ट को गहनता से विचार करना



चाहिए। जब तक यह नहीं स्पष्ट होता है कि केवल कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर केस पूरी तरह से गलत है, इस तरह की याचिका को खारिज नहीं करना चाहिए।

बेंच की तरफ से फैसला लिखने वाले जस्टिस ओका ने कहा, इस फैसले के साथ यह बताना जरूरी है कि मैं 27 अक्टूबर 2016 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले में भी शामिल था जिसमें कहा गया था कि घरेलू हिंसा के कानून के सेक्शन 12 (1) के मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मुकदमा खारिज करने का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी इस बात पर हाई कोर्ट की पूरी बेंच सहमत नहीं थी। ऐसे में हमारा कर्तव्य था कि हम अपनी गलती को सुधारें।

जस्टिस ओका ने कहा कि उन्हें अपना फैसला सुधारना पड़ गया। उन्होंने

कहा कि यह कहना कि घरेलू हिंसा के मामले में धारा 482 के तहत मुकदमा खारिज करने का प्रावधान ही नहीं है, एक तरह से गलत था। ऐसे में यह लगता था कि मामला केवल सिविल नेचर का ही होगा। हालांकि परिस्थिति के अनुसार धारा 482 के तहत फैसला किया जा सकता था। यह विचार सुप्रीम कोर्ट की बात से भी अलग था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह कानून महिलाओं को न्याय देने के लिए है। ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही साबित नहीं होता था। इसमें सुधार किया गया।

नई तकनीक ने कानून के अध्ययन में ला दी क्रांति- जस्टिस ओका जस्टिस ओका ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में हजारों न्यायिक निर्णयों का देश की कई भागाओं में अनुवाद किया गया है। टीएमसी लॉ कॉलेज की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया, पिछले 30 वर्षों से महाराष्ट्र में जिला अदालत तक में मराठी में काम किया जा रहा है। जस्टिस ओका ने कहा कि नयी प्रौद्योगिकी ने कानूनी अध्ययन में क्रांति ला दी है। उन्होंने कहा, आज उपलब्ध सुविधाओं के साथ, कानून की अध्ययन करना, शोध करना, इसका अर्थ समझना और कम समय में कई निर्णयों को समझना बहुत आसान हो गए हैं। छात्रों को इनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

क्या 65 की उम्र तक पढ़ाएंगे कॉलेज शिक्षक? हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जयपुर, एजेंसी।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र को 60 वर्ष से 65 वर्ष तक बढ़ाने वाली याचिका पर नोटिस कर सरकार से जवाब मांगा। याचिकाकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल की तरफ से उनके अधिवक्ता अश्वय दत्त शर्मा व सुप्रिय ने पैरवी की। अधिवक्ता अश्वय दत्त शर्मा ने बताया कि याचिका पर राज्य सरकार, विधि व उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन की नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछ है कि क्यों न प्रदेश के कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाए। यह आदेश हाईकोर्ट की

खंडपीठ न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह और न्यायाधीश आनंद शर्मा ने सोमवार को दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं सुप्रिय और अश्वय दत्त शर्मा ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार और यूजीसी की ओर से कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसे देश के अनेक राज्यों ने अपनाया है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार समेत लगभग 20 राज्यों में कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी बताया गया कि राजस्थान में केवल मेडिकल शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु ही 65 वर्ष की गई है, जबकि सामान्य कॉलेज शिक्षकों के लिए



यह अब भी 60 वर्ष है, जो समानता और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह भेदभावपूर्ण व्यवस्था है और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विपरीत असर डालती है। याचिका

में यह भी उल्लेख किया गया कि राजस्थान में कॉलेज शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य के निचले स्तर की सरकारी महाविद्यालयों, राजमेस के तहत संचालित कॉलेजों और कृषि महाविद्यालयों में शिक्षकों के अनेक पद लंबे समय से खाली हैं।

ऐसे में अनुभवी और योग्य शिक्षकों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त करना शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रार्थीपक्ष ने मांग की है कि जब तक याचिका का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक याचिकाकर्ताओं को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और उन्हें सेवा में बने रहने दिया जाए। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई की तिथि नियत की जाएगी। यह मामला अब प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की सेवाशर्तों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी पहलू खड़ा करता नजर आ रहा है।

यूपी में फिर एनकाउंटर: गोंडा में ढेर हुआ 1लाख का इनामी सोनू पासी, बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली एसएचओ की जान

लखनऊ, एजेंसी। यूपी में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ है। गोंडा में पुलिस ने एक लाख के इनामी बदमाश सोनू पासी को मुठभेड़ में मार गिराया है। मिली जानकारी के अनुसार एनकाउंटर के दौरान बदमाश सोनू ने एसएचओ नरेंद्र राय पर गोली चला दी थी। बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से वह बाल-बाल बच गए। 24 अप्रैल की रात चोरी की एक घटना के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के बाद एडीजी जोन ने सोनू पर एक लाख रूपय का इनाम घोषित किया था। इस घटना में पुलिस ने सोनू के दो साथियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था लेकिन सोनू फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर उमरी बेगमगंज के सनौली मोहम्मदपुर इलाके में बदमाश की घेराबंदी की गई थी। पुलिस से आमना-सामना होने पर बदमाश ने फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश मारा गया।

पुलिस के मुताबिक सोनू पर हत्या, लूट, डकैती और डकैती के दौरान हत्या जैसे 48 से अधिक मामले दर्ज थे। वह पिछले महीने गोंडा के डिवसर गांव में एक युवक की हत्या के मामले में वांछित चल रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सोमवार की आधी रात के बाद गोंडा के उमरी बेगमगंज के सनौली मोहम्मदपुर में घेराबंदी की थी। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देख बदमाश



सोनू ने फायरिंग कर दी। इस दौरान एसएचओ नरेंद्र राय की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी एक गोली लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट होने की वजह से उनकी जान बच गई। बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई। इसमें बदमाश को गोली लग गई और वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद पुलिस उसे तत्काल अस्पताल ले गई जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाश की पुलिस ने शिनाख्त कराई तो उसके सोनू पासी होने की पुष्टि हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोनू 24 अप्रैल को चोरी की घटना के दौरान की गई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में वांछित था। इस वारदात में उसके साथ रहे दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सोनू लगातार फरार चल रहा था।

सुखखू सरकार की बड़ी सौगात- 1000 पशु मित्रों की भर्ती समेत कई कर्मियों का मानदेय बढ़ा, गौवंश चारे का अनुदान भी बढ़ा

शिमला, एजेंसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखखू की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में पशु मित्र नीति-2025 को मंजूरी देते हुए पशुपालन विभाग में 1,000 मल्टी-टास्क वर्कर (पशु मित्र) की भर्ती को हरी झंडी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में स्कूल लाइब्रेरी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के पद भरने की स्वीकृति दी गई है। वहीं राजस्व विभाग में भी 10 सीनियर असिस्टेंट और 15 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद सृजित किए जाएंगे। उन्होंने

कहा कि हमीपुर स्थित राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आयुष विभाग में 5 आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती बेंच आधार पर करने का भी फैसला किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने गौसदनों में रखे गए गौवंश के लिए चारे की अनुदान राशि को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति मवेशी प्रति माह करने का निर्णय लिया है, जिससे गोसेवा से जुड़ी संस्थाओं को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए राहत भरी घोषणा करते हुए कैबिनेट ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मानदेय 17,820 रुपये



से बढ़ाकर 25,000 रुपये और रेडियोग्राफर एवं एक्स-रे तकनीशियनों का मानदेय 13,100 रुपये से

बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मंजूरी दी। प्रवक्ता के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक

अहम पहल करते हुए मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत निजी उद्यमियों को सीएसआर फंडिंग के माध्यम से जर्जर वन भूमि पर पौधापौधण करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि शहरी विकास को संतुलित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमावली 2014 में संशोधन किया गया है। अब शिमला नगर निगम क्षेत्र में घाटी की ओर बनने वाले भवन सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होंगे। माता तारा देवी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र में शामिल करने का भी निर्णय लिया

गया है जिससे इस धार्मिक स्थल के आसपास का क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित रह सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के अधिक अवसर देने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के अंतर्गत ई-टैक्सिली को खरीद हेतु व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग में डिजाइन विंग को सिविल विंग में संशोधन किया गया है। अब शिमला नगर निगम क्षेत्र में घाटी की ओर बनने वाले भवन सड़क स्तर से कम से कम एक मीटर नीचे होंगे। माता तारा देवी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र में शामिल करने का भी निर्णय लिया

प्रशासन की मनमानी, निजी जमीन को हड़पकर नगर पालिका को किया सुपुर्द

रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से अधिकांश निजी भूमि शासकीय दर्ज, पूर्व सीएमओ एवं सपाक्स जिला अध्यक्ष प्रमोद पाठक ने बताएं दस्तावेज



पन्ना। प्रदेश सरकार जहां एकओर प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए प्रत्येक भूमि हीनव्यक्ति को जमीन का टुकड़ा देने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर पन्ना जिले में प्रशासन की मनमानी चल रही है तथा लोगों की निजी जमीन को जबरदस्ती अतिक्रमण के नाम पर हड़प कर नगर पालिका जैसी संस्थाओं के हवाले कर रही है। इसी प्रकार के मामले के संबंध में पत्रकारों के समक्ष श्री पाठक ने बताया है कि 8 मई 2008 से डायमंड चौक स्थित आरजी

क्र. 1779 भवन क्र. 454/1 वार्ड क्र. 12 डायमंड चौक के पास स्थित है। जो रशीदा बेगम पति स्वर्गीय रशीद मोहम्मद हाजी बिल्डिंग से पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीदा गया, जिस पर उनके पूर्वजों का पेट्रोल पंप था लेकिन वर्तमान में बंद हो चुका था, तहसीलदार पन्ना द्वारा 11 जुलाई 2024 को अतिक्रमण बताते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा गया जिसके संबंध में मेरे द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र, नगर

पालिका का भवन प्रमाण पत्र, नजूल एनओसी, भवन निर्माण स्वीकृति, नगर पालिका द्वारा नामांतरण पत्र, संपति कर की रसीदें उपलब्ध कराईं। उक्त भूमि पर 1945 से 2008 तक हाजी अली एवं उनके परिवार की होने के पश्चात 2008 से वर्तमान तक हम लोगों का 80 वर्ष से अधिपत्य रहा है। इतने वर्षों में शासन द्वारा किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई लेकिन अचानक इस प्रकार नोटिस जारी कर भवन को ध्वस्त कर दिया गया और

यातायात पुलिस द्वारा 66 वाहनों पर कार्यवाही कर 45000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया



पन्ना। पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई भोपाल द्वारा यातायात नियमों के विरुद्ध संचालित स्कूल बस / शिक्षण संस्थान एवं लोक पहिचान के वाहनो के विरुद्ध दिनांक - 13.05.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान के तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक पन्ना श्री साई कृष्णा एस थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वन्दना

सिंह चौहान व अनुविभागीय अधिकारी (पु०) श्री एस.पी.सिंह बघेल के दिशा निर्देशानुसार थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक श्रीमती नीलम लक्ष्मकार,द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर विशेष अभियान अंतर्गत शहर के डायमण्ड चौराहा, सत्यम पैलेस, पन्ना छतरपुर वाईपास पर स्कूल बस / शिक्षण संस्थान एवं लोक पहिचान के वाहनो के विरुद्ध विशेष चैकिंग की जाकर 66 बसें नियम विरुद्ध पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए 45,000 /- रुपये जुर्माना वसूल किया गया एवं वाहन चैकिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 वाहनो के विरुद्ध कार्यवाही कर 3100 रुपये जुर्माना वसूला गया ।

संबल योजना का लाभ मिलने पर कलेक्टर का जताया आभार

पन्ना। देवेन्द्रनगर तहसील के ग्राम रानीगंजपुरवा निवासी सोना कुमारी चौधरी ने परिवार को श्रम विभाग की संबल योजना का त्वरित लाभ मिलने पर कलेक्टर सुरेश कुमार के प्रति पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया है। सोना कुमारी के पिता की गत 8 अप्रैल को आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। जिला कलेक्टर द्वारा जरूरतमंद परिवार को आर्थिक सहायता का मामला संज्ञान में आने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को प्रकरण तैयार कर तत्काल संबल योजना में लाभार्थित करने के निर्देश दिए गए थे। विगत 2 मई को पीड़ित परिवार को संबल योजना में 2 लाख रूपए प्राप्त होने पर मृतक की पुत्री द्वारा 13 मई को जिला कलेक्टर के नाम से पत्र प्रेषित कर संवेदनशीलता के साथ योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आभार जताया गया है।

नल जल योजनाओं का कार्य समय सीमा में पूर्ण कराएं : कमिश्नर सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य बरसात के पूर्व प्राथमिकता से हो

पन्ना। कमिश्नर सागर संभाग डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सागर संभाग में पेयजल व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए बनाई जा रही नल जल योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। इस संबंध में आज सागर में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। कमिश्नर डॉ. रावत ने कहा कि हर घर जल योजना शासन की अति



महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। यह योजना काफी धीमी गति से चल रही है। इस योजना के कार्यों को तेजी से पूर्ण कराएं। कमिश्नर ने सागर संभाग में ग्रीष्मकाल में पेयजल व्यवस्था की जिलेवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सतत व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की सतत निगरानी होनी चाहिए। जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग कराएं तथा लोगों को स्वच्छ और शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने

सागर संभाग में लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत संभाग में बनाई जा रही सड़कों की जिलेवार समीक्षा की तथा सड़कों के निर्माण की अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर ने सड़कों के निर्माण को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणधीन सड़कों का निर्माण वर्षा से पूर्व प्राथमिकता के साथ कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि जिन सड़कों के मरम्मत की आवश्यकता है, उन सड़कों की मरम्मत वर्षाकाल प्रारंभ होने से पूर्व प्राथमिकता से कराएं। उन्होंने कहा कि जो निर्माण एजेंसियां सड़कों के निर्माण में उदासीनता बरत रही हैं।

ऐसी निर्माण एजेंसियों को नोटिस दें तथा उन पर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सागर संभाग में जिन परियोजनाओं में भू-अर्जन की आवश्यकता है। ऐसी परियोजनाओं के भू-अर्जन के लिए अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें। भू-अर्जन कार्य में गतिरोध उत्पन्न होने पर संबंधित जिले के कलेक्टरों अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू-अर्जन प्रकरणों को संज्ञान में लाकर उनका निराकरण भी कराएं। बैठक में कमिश्नर ने सेतु निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, भू-जल सर्वेक्षण विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।

छत्रसाल स्टेडियम में चल रहा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण

पन्ना। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्थानीय छत्रसाल स्टेडियम में खेल प्रशिक्षण शिवर का आयोजन किया गया है उक्त खेल प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए 1 मई से 9 मई तक पंजीयन किया गया तत्पश्चात 9 मई से लगातार खिलाड़ियों को खेल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उन्हें खेल के प्रति जागरूक किया जा रहा है जिला खेल अधिकारी एवं एस डी ओ पी पन्ना एसपी सिंह बघेल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करना है क्योंकि खेलों से जहां एकओर एकता की भावना जागृत होती है वहीं दूसरी ओर खेलों से मनुष्य का शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होता है खेल प्रशिक्षण सुबह 6:00 बजे से 8:00

बजे तक चलता है जिसमें अनेक खेलो का प्रशिक्षण खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है बच्चों को बेहतर नाश्ता की सुविधा भी प्रतिदिन की जाती है इसके पूर्व उनका ज्ञान बर्धन करने के लिए बच्चों को प्रतिदिन एक वक। अलग-अलग विषय पर अपना बौद्धिक भी देते हैं आज दिनांक 19 मई को वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश जैन ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा



कि हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है इस प्रजातंत्र में देश का संचालन करने के लिए संविधान

बनाया गया था जिसके अनुसार सभी को अलग-अलग दायित्व सौंप गए हैं और संविधान की सीमा में रहकर ही सभी लोग अपने अलग-अलग कार्य करते हैं उन्होंने कहा कि नियम के दायरे में रहकर हम सभी को अपना कार्य करना चाहिए इस अवसर पर अनेक लोगों उपस्थित रहे जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मंत्री तथा विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह जिला क्रिकेट संघ सिंह के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह परमार अमर बहादुर सिंह डॉक्टर कैलाश मोदी सुनील गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद तिवारी पत्रकार मनीष मिश्रा सुरेश पांडे राकेश शर्मा मनीष शर्मा खेल विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारी जिले के खेल प्रशिक्षक आदि।

अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे पर झूली

पन्ना। धरमपुर थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर में एक 35 वर्षीय विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे में झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला साहू पति होते साहू उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी ग्राम रामपुर ग्राम पंचायत कल्याणपुर ने 18 मई 2025 को अपराह्न लगभग 3 बजे घर के अंदर फांसी लगा ली जिससे उसकी मौत हो गई, बताया गया है कि कमला और होते के तीन बच्चे थे एक 16 साल का लड़का, 12 साल की लड़की और 8 साल की लड़की है। इस घटना से सभी का रो-रो कर बुरा हाल है। पुलिस के द्वारा पंचनामा उपरांत मृतिका का शव पोस्टमार्टम के लिए अजयगढ़ पीएम हाउस लाया गया है जहां आज 19 मई 2025 को पोस्टमार्टम होगा।

सलेहा क्षेत्र मे प्रतिबंध के बावजूद अवैध तरीके चल रही हैं बोरिंग मशीनें

पन्ना। पन्ना जिले के जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ने दिनांक 23/3/25 को मध्यप्रदेश पेय जल परीक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत पन्ना जिले को सुखा ग्रस्त घोषित करके नए नलकूप के उल्लंघन पर रोक लगाई थी जो आदेश के तहत 20 जुलाई तक मान्य रहेगा के बावजूद पन्ना जिले के सलेहा क्षेत्र में नए नलकूप थड़ेछे से किए जा रहे हैं, बोरिंग मशीन संचालक और दलालों के हासले इतने बुलंद हैं कि उन्हें जिला

कलेक्टर के आदेश को भी कचरे के डब्बे में डाल दिया है। दिन एवं रात के सलेहा क्षेत्र के कई गांव मे नल कूप उत्खनन करके भूगर्भीक जल का दोहन किया जा रहा है। बोरिंग मशीन संचालक और दलाल मन मर्जी मुताबिक बोरिंग करवाने का सौदा करके तब मान्य रहेगा के बावजूद पन्ना जिले के सलेहा क्षेत्र में नए नलकूप थड़ेछे से किए जा रहे हैं, बोरिंग मशीन संचालक और दलालों के हासले इतने बुलंद हैं कि उन्हें जिला

100 से 150 रुपए तक वसूले जा रहे हैं जिन्हें न पुलिस का खौफ हैं न जिला प्रशासन का। बोरिंग मशीन संचालक प्रशासन को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं। अब देखना ये हैं इस खबर का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है अवैध बोरिंग मशीनों के संचालकों पर कार्यवाही होती है या फिर जिला प्रशासन के आदेश को दरकिनार करके भूगर्भीक जल का दोहन जारी रहता है।

जिले के विभिन्न स्थानों पर हुआ सिविल डिफेंस वालेंटियर्स का प्रशिक्षण

पन्ना शासन के निर्देशानुसार किसी आकस्मिक अथवा संभावित घटना की परिस्थिति में नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए सिविल डिफेंस वालेंटियर्स को पुलिस, होमगार्ड एवं स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों की टीम द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में आज अजयगढ़ में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के वालेंटियर्स को एसडीएम अलोक मार्कोई, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, जिला सेनानी होमगार्ड, थाना

प्रभारी, जनपद पंचायत सीईओ एवं विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान प्रशिक्षकों द्वारा नागरिक सुरक्षा के संबंध में जारी नियमों व निर्देशों की जानकारी प्रदान कर व्यवहारिक रूप से विभिन्न सुरक्षा उपायों की बारीकियां समझाई गईं। साथ ही अलग-अलग जीवन रक्षा उपकरणों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया गया। पर्वट विकासखण्ड मुख्यालय में भी वालेंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त जिला

मुख्यालय पन्ना में भी एसडीआईआरएफ की टीम द्वारा मॉकड्रिल का अभ्यास कराया गया और किसी आपदा पर राहत बचाव कार्य की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के साथ वास्तविक परिदृश्य की भांति हवाई हमले की स्थिति में सायरन बजने और ब्लैकआउट की जानकारी दी गई। होमगार्ड एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा भी संभावित घटना के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों को सुरक्षित स्थल पर आश्रय गृह में भेजने तथा वालेंटियर्स टीम की भूमिका की जानकारी दी गई।

गुनौर विधायक ने मुख्यमंत्री से भेंट कर की सिंचाई योजना की स्वीकृति की मांग

पन्ना। गुनौर विधायक डॉ. राजेश वर्मा ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भेंट कर विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए गुनौर माइक्रो उडवहन सिंचाई योजना के स्वीकृति की मांग रखी। विधायक डॉ. वर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि बरगी बांध के पानी से देवेन्द्रनगर एवं गुनौर तहसील के ग्रामों को लाभार्थित करने के लिए नर्मदा घाटी विकास विभाग के कार्यपालन यंत्रि द्वारा गुनौर माइक्रो उडवहन सिंचाई योजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन बरगी हिल्स जबलपुर को प्रेषित किया गया है। सतना जिले की नागौद तहसील को बरगी डैम का पानी उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पूर्व से प्रस्तावित एवं प्रगतिरत है। सिंचाई योजना की स्वीकृति से पन्ना जिले की गुनौर एवं देवेन्द्रनगर तहसील के क्रमशः 52 एवं 22 ग्रामों को भी लाभ मिल सकेगा। इससे 22 हजार 600 हेक्टेयर से अधिक निजी भूमि सिंचित हो सकेगी।

खुले नाले, बदबू और कचरा, सतना के भैंसाखाना की हालत बुरी, बना जानलेवा, व्यापारी-राहगीर परेशान

सतना सतना के नेहरू बाजार स्थित भैंसाखाना इलाका इन दिनों भारी गंदगी और खुले नाले की समस्या से जूझ रहा है। इससे निकलने वाली तीव्र दुर्गंध न सिर्फ व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, बल्कि राहगीरों के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण बन रही है। आसपास की वाइन शॉप और मोट दुकानों में आने वाले ग्राहक अक्सर रात के अंधेरे में इस खुले नाले में गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। थोड़ी ही दूरी पर स्थित लखन चौक से बाजारवाहा टोला की ओर जाने वाले मार्ग पर बना विशाल नाला भी सफाई के अभाव में खतरा बन चुका है। नगर निगम ने सफाई का काम शुरू तो किया, लेकिन बीच में ही बिना किसी स्पष्ट कारण के रोक दिया. नाले के किनारे कचरे का ढेर जमा है, जहरीले फोम निकल रहे हैं और नाले में पत्ते-पौधे

प्रयागराज में सुशील वैभव को मिला गुप्तगू अवार्ड

पन्ना। 18 मई को प्रयागराज के आर्य कन्या डिग्री कॉलेज के सभागार में संस्था द्वारा साहित्य महोत्सव कवि सम्मेलन में पूरे देश से एकत्रित हुए कबी साहित्यकारों के मध्य पन्ना के सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार व्यंगकार सुशील खरे वैभव को गुप्तगू अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंबई के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजेंद्र गोपाल गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्षितिज शैलेंद्र एवं विशेष अतिथि न्यायाधीश अशोक कुमार गुप्ता रहे। जिन्होंने पन्ना के कवि व्यंगकार सुशील खरे वैभव की काव्यधर्मिता की सराहना करते हुए शाल श्रीफल सम्मान पत्र स्मृति चिन्ह के साथ गुप्तगू अवार्ड से सम्मानित करते हुए श्री वैभव को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। संस्था अध्यक्ष इम्तियाज अहमद गाजी, उपाध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह तन्हा, श्रीमती मीना मोहन श्रीवास्तव ने भी श्री वैभव को बधाई दी सम्मानित होकर पन्ना आने पर सुशील वैभव को पंडित उमादेव उपाध्याय, डॉ प्रमोद श्रीवास्तव, श्रीमती शारदा पाठक, एस कुमार चनपुरिया, श्रीमती मंजू लता खरे, कृष्ण नारायण खरे, मनीष मिश्रा, संजय बड़ैरिया, राकेश शर्मा ने वैभव को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित जन सुनवाई में कमिश्नर बीएस जामोद ने आमजनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई की। उसी अवसर का दृश्य।



जल गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाए

पेंशन प्रकरण सात दिवस में दर्ज नहीं हुए तो होगी कार्यवाही : कमिश्नर

रीवा। कमिश्नर बीएस जामोद ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जल गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पृथ्वी में यदि उपयोग के लिए स्वच्छ पानी नहीं होगा तो मानव ही नहीं समस्त जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का जीवन भी नहीं रह पाएगा। बारिश के पानी को हर व्यक्ति संचित करने और धरा को वापस करने का प्रयास करे। पानी को व्यर्थ में न बहाएं। जल गंगा संवर्धन अभियान हर व्यक्ति का अभियान है। पानी की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। अभियान में भागीदारी निभाने के लिए संभागीय अधिकारियों के 6 दल बनाए गए हैं। सभी अधिकारी संभाग के जिलों का भ्रमण करके जल गंगा संवर्धन



अभियान में पूरा सहयोग दें।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जनवरी से अप्रैल माह तक के लंबित पेंशन प्रकरण लगभग निराकृत हो गए हैं। अभी भी दिसम्बर माह तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संभाग में 53 प्रकरण लंबित हैं। सभी अधिकारी सात दिवस में 30 अप्रैल तक सेवानिवृत्त तथा मई माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण सात दिवस में अनिवार्य रूप से पेंशन

कार्यालय में दर्ज करा दें। प्रकरणों के लंबित रहने पर संबंधित संभागीय और जिला अधिकारी दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभागीय कार्य करें। गोविंदगढ़ से भैंसरहा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य सड़क विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। सड़क निर्माण से प्रभावित सभी हैण्डपंप हटाकर उनके स्थान पर तत्काल नए

हैण्डपंप लगाने की व्यवस्था करें। पीएचई और एमपीआरडीसी के अधिकारी समन्वय बनाकर हैण्डपंप लगाने की कार्यवाही सात दिवस में सुनिश्चित करें।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संभाग में आदर्श मण्डियों के विकास के लिए 218 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उप संचालक मण्डी हर सप्ताह आर्वाटित राशि के उपयोग और निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करें। कृषि तथा उससे जुड़े विभागों की प्रशिक्षण बैठक संभाग के पाँच जिलों में आयोजित की जा चुकी है। सिंगरौली में 28 मई को बैठक आयोजित की जाएगी। इस प्रशिक्षण के बाद मैदानी स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी समन्वय से प्रयास करके विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति कराएं। आगामी 18 जून को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा संभाग में कृषि के विकास की समीक्षा की जाएगी। इससे जुड़े विभागों के अधिकारी

निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं में कार्यवाही सुनिश्चित करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछलीपालन तथा अन्य विभागों के श्रेष्ठ कार्य भी बैठक में प्रस्तुत करें।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी अपडेशन की अवधि शासन द्वारा 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अभी संभाग में 81 प्रतिशत हितग्राहियों का ई केवाईसी किया जा चुका है। शेष हितग्राहियों का ई केवाईसी करने तथा स्थाई रूप से पलायन एवं मृत हितग्राहियों के नाम पोर्टल से पृथक करने के नाम 25 मई तक अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग छात्रावास भवनों की साफ-सफाई और सुधार का कार्य करा लें। छात्रावास की शत-प्रतिशत सीट में विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करें।

जल गंगा संवर्धन अभियान की निगरानी के लिए 6 दल तेनात

रीवा। संभाग के सभी जिलों में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी जिलों में नदियों के उद्गम स्थल की साफ-सफाई, जल स्रोतों की सफाई, जल संरक्षण संरचनाओं में सुधार तथा नई जल संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कमिश्नर बीएस जामोद ने जल संरक्षण कार्यों की निगरानी के लिए संभागीय अधिकारियों के 6 दल तैनात किए हैं। सभी दल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलों का भ्रमण करके जल संरक्षण कार्यों की निगरानी करेंगे। जिलों में जल संरक्षण के प्रयासों को गति देंगे। कमिश्नर ने अधिकारियों

को हर सप्ताह निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा है कि दल के अधिकारी जल संरक्षण के कार्यों के साथ-साथ शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय कार्यों का भी निरीक्षण कर प्रतिवेदन दें।

जारी आदेश के अनुसार दल क्रमांक एक में संयुक्त संचालक कृषि, अधीक्षण यंत्री पीएचई, संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन तथा क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। दल क्रमांक दो में मुख्य अभियंता जल संसाधन, संयुक्त संचालक मण्डी बोर्ड, संयुक्त संचालक उद्यानिकी, उप संचालक

मछली पालन तथा संयुक्त आयुक्त सहकारिता को शामिल किया गया है। दल क्रमांक तीन में मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, संयुक्त संचालक पशुपालन, संयुक्त संचालक उद्योग, खाद्य निर्यंत्रक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद को शामिल किया गया है। दल क्रमांक चार में अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग, उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग, संभागीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा मैनेजर डेयरी को शामिल किया गया है। दल क्रमांक पाँच में मुख्य अभियंता विद्युत मण्डल, कार्यपालन

यंत्री एनएचआई, अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्य महाप्रबंधक ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास को शामिल किया गया है। दल क्रमांक 6 में संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम, संभागीय आयुष अधिकारी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय, कार्यपालन यंत्री सेतु निगम तथा उपायुक्त आवकारी को शामिल किया गया है। रिजर्व दल में संयुक्त आयुक्त कमिश्नर कार्यालय, मुख्य अभियंता पीआईयू, क्षेत्रीय प्रबंधक मार्कफेड, संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा तथा क्षेत्रीय खनिज अधिकारी को शामिल किया गया है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक

रीवा। भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा खेती को उन्नत और लाभकारी बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा। इस संबंध में कमिश्नर बीएस जामोद ने बताया है कि अभियान के तहत संभाग के सभी जिलों में अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के तीन-तीन दल क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। किसानों तथा आमजनता से

संवाद करके कृषि के विकास के संबंध में सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही किसानों को खेती को आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सलाह भी दी जाएगी। अभियान के दौरान खेती की उन्नत तकनीक फसलों के आधुनिक और उन्नत बीज, कृषि में किए जा रहे नवाचार, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण तथा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग के संबंध में किसानों को जानकारी दी जाएगी। अभियान के

दौरान किसानों को धान की सीधी बुआई, सोयाबीन फसल को रिजफेरो प्रणाली से लगाने तथा खरीफ फसल की तैयारी के संबंध में किसानों को मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिले में भ्रमण करने वाले दल में कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली से जुड़े अधिकारी, प्रगतिशील किसान तथा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एवं कृषि

अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

कमिश्नर ने कहा है कि सभी कलेक्टर अभियान की तैयारी बैठक आयोजित करके अभियान की रूपरेखा तैयार कर लें। प्रत्येक जिले में शासन के निर्देशों के अनुरूप तीन-तीन दल गठित कर दें। इन दलों के जिले भर में भ्रमण का कार्यक्रम तैयार करके प्रतिदिन दो से तीन ग्राम पंचायतों में अभियान का क्रियान्वयन कराएं।

अभियान के दौरान कृषि तथा उससे जुड़े विभागों की सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी एवं उससे लाभ लेने की प्रक्रिया से किसानों को अवगत कराएं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करके मिट्टी की जाँच कराने एवं आवश्यकता के अनुसार फसल को पोषक तत्व देने के लिए खाद के उपयोग का निर्धारण कराएं। खरीफ फसल की तैयारी के संबंध में भी किसानों को समुचित मार्गदर्शन दें।

कमिश्नर ने जन सुनवाई में आवेदकों की सुनी समस्याएं

रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित जन सुनवाई में कमिश्नर बीएस जामोद ने आमजनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई के आवेदनों पर तत्परता से कार्यवाही करके सात दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जन सुनवाई में श्री रामकिशोर ने उनकी जमीन से

वेदखली के संबंध में किए गए आदेश का पालन कराने के लिए आवेदन दिया।

कमिश्नर ने एसडीएम सिरमौर को आवेदन में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। रामसागर निवासी रामनगर ने जमीन की प्रतिपूर्ति के रूप में बाणसागर परियोजना द्वारा पट्टे प्रदान करने के लिए आवेदन दिया।

कृषि उत्पादन आयुक्त 18 जून को करेंगे कृषि विकास की समीक्षा

रीवा। कृषि उत्पादन आयुक्त कलेक्ट्रेट सभागार रीवा में 18 जून को आयोजित बैठक में कृषि विकास की समीक्षा करेंगे। बैठक में कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, मार्कफेड तथा कृषि विकास से जुड़े अन्य विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

युवा संगम कार्यक्रम 26 मई को सतपुड़ा आईटीआई में होगा

रीवा। जिला रोजगार कार्यालय एवं सतपुड़ा आईटीआई रीवा के संयुक्त तत्वाधान में 26 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सतपुड़ा आईटीआई रीवा में युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। युवा संगम कार्यक्रम के तहत आयोजित रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस संबंध में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में 10 कंपनियों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों में युवक एवं युवतियों की आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। वेतन एवं भत्ते 8500 रुपए से 25 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। वेतन एवं भत्ता विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग देय होगा। युवाओं को अपने

साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा।

उप संचालक ने बताया कि रोजगार मेले में ट्रायडेंट कंपनी बुधनी, सीहोर, शक्ति पंप इंडिया लि. पीथमपुर धार, ग्रोफास्ट एग्रिटेक प्रा. लि. जबलपुर, प्रगतिशील एगरोटेक प्रा. लि. रीवा, एचडीएफसी लाइफ इश्योरेन्स कंपनी लिमि. रीवा, प्रगतिशील बायोटेक प्रा. लि. रीवा, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा नासिक महाराष्ट्र, ख्याति शीलड वेन्दुरेज प्रा. लि. रायपुर छत्तीसगढ़, विन्ध्या टेलीलिक लि. चोरहटा रीवा तथा कन्टेम्परेरी सर्विसेज कॉर्पोरेशन इंडिया प्रा. लि. (सीएससी) इंदौर में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे।

यात्री बसों पर आरटीओ ने कसा शिंकंजा 12 बसों में की चालनी कार्यवाही

रीवा। परिवहन विभाग रीवा द्वारा लगातार यात्री वाहनों पर जाँच कर मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। जाँच में मुख्यतः यात्री सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही न हो इसके लिये विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिसमे बसों के परमिट फिटनेस बीमा के साथ साथ किराया सूची फास्टेड बॉक्स गर्मी को देखते हुए अग्निशमन यंत्र स्पीड गवर्नर और चालक लाइसेंस की गहनता से जाँच की गई। जाँच में दो बसे परमिट शर्तों का उल्लंघन करती हुई मिली जिन पर दस दस हजार के ऑनलाइन चालान किये गए और उस चालान की एक प्रति वाहन चालक को प्रदाय की गई। साथ ही शहडोल और सीधी मार्ग की बसों पर जाँच उपरांत कार्यवाही करते हुए 10 बसों पर चालानी कार्यवाही की जिनमे किराया सूची फास्टेड बॉक्स और एएसएसआरपी नम्बर प्लेट आदि पे चालान बनाये गए। यह कार्यवाही रीवा आरटीओ के निर्देशन में परिवहन सुरक्षा स्काड द्वारा की गई। जाँच में परिचालकों को खास तौर पर समझाइस दी गई की दिव्यांग व्यक्तियों को शासन से निर्धारित किराए में छूट प्रदाय की जाय और उन्हें आरक्षित सीट पर बिठया जाय।

जनसुनवाई में 83 आवेदकों के आवेदन पत्रों में हुई सुनवाई

रीवा। प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर पी.के. पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट में 83 आवेदकों के आवेदन पत्रों में सुनवाई की।

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में यशशरण तिवारी निवासी जवा ने खसरा में नाम अंकित कराने, रामसाद सेन निवासी ग्राम गढ़वा ने शासकीय भूमि में स्थापित हैण्डपंप को कब्जे से मुक्त कराने के लिए आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को आवेदन पत्र में कार्यवाही के निर्देश दिये। लालमणि तिवारी निवासी लोही ने मुआवजा राशि के लिए आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर तहसीलदार हुजूर को



कार्यवाही के निर्देश दिये। दीनबंधु सोहगौरा निवासी ग्राम पटना थाना बैकुंठपुर ने उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करने वाले व्यक्ति पर कार्यवाही के लिए आवेदन दिया। आवेदन पत्र

कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया। जनसुनवाई में रामबहोर साकेत निवासी ग्राम बहुरीबांध ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए आवेदन दिया।

जिला पंचायत रीवा को आवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया। मोनिका साहू निवासी वार्ड क्रमांक 21 धोबिया टंकी ने अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम कार्यालय को आवेदन कार्यवाही के लिए प्रेषित किया। सेमरिया निवासी शिवा पाण्डेय ने खसरे में जमीन का रकबा दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। संयुक्त कलेक्टर ने तहसीलदार सेमरिया को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिये। निवासी गुड रंगदेव पटेल ने आम रास्ता को खुलवाने के लिए आवेदन दिया। इस संबंध में तहसीलदार गुढ़ को कार्यवाही के निर्देश दिये गये।